

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2055
10 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश के लिए अर्हता मानकों को शिथिल किया जाना

2055 सुश्री सुष्मिता देव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि वर्ष 2025 में स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश के लिए अर्हता कट-ऑफ अंकों में भारी कमी की गई थी;
- (ख) क्या सरकार यह मानती है कि इस कमी के कारण बेहद कम या ऋणात्मक अंकों वाले उम्मीदवार भी काउंसलिंग के लिए पात्र हो गए हैं, जिससे स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में शैक्षणिक मानकों और योग्यता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं;
- (ग) क्या कट-ऑफ कम करने का मुख्य कारण कई दौर की काउंसलिंग के बाद भी 18,000 से अधिक स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों का न भर पाना था; और
- (घ) क्या सरकार ने बेहद कम प्रदर्शन अंकों वाले उम्मीदवारों को प्रवेश देकर विशेषज्ञ प्रशिक्षण की गुणवत्ता और रोगी सुरक्षा से समझौता करने के जोखिम का आकलन किया है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) की मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग आयोजित करती है। एमसीसी द्वारा आयोजित नीट-पीजी काउंसलिंग में 50% ऑल इंडिया कोटा (एआईक्यू) की सीटें और देश भर में केंद्रीय/मानद विश्वविद्यालयों की 100% सीटें शामिल हैं। इसके

अतिरिक्त, राज्य कोटा पीजी सीटों और निजी चिकित्सा कॉलेजों में सीटों के लिए काउंसलिंग संबंधित राज्य काउंसलिंग प्राधिकरणों द्वारा आयोजित की जाती है।

योग्यता पर्सेंटाइल को संशोधित करने का निर्णय एमसीसी द्वारा राउंड-2 काउंसलिंग के पूरा होने के बाद लिया गया, जिसमें यह बताया गया कि एमसीसी द्वारा काउंसलिंग के लिए प्रस्तुत की गई 29,476 सीटों में से 9,621 सीटें खाली रह गईं। इसके अतिरिक्त, चूंकि 50% सीटों की काउंसलिंग संबंधित राज्य प्राधिकरणों द्वारा की जाती है, अतः यह आकलन किया गया कि दो राउंड के बाद लगभग 20,000 सीटें (डीएनबी सीटों सहित) खाली रह गई थीं। इसलिए, पिछले शैक्षणिक वर्षों के अनुरूप, जो अधिकतम सीट उपयोग सुनिश्चित करने में प्रभावी साबित हुए हैं, सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि महत्वपूर्ण पीजी मेडिकल सीटें खाली न रहें, पीजी काउंसलिंग 2025 के लिए पात्रता हेतु योग्यता पर्सेंटाइल को कम कर दिया है। नीट पीजी 2025 के लिए संशोधित योग्यता पर्सेंटाइल इस प्रकार हैं:

- अनारक्षित श्रेणी: पात्रता 7 पर्सेंटाइल से ऊपर तक कम की गई
- अनारक्षित-पीडब्ल्यूडी श्रेणी: पात्रता 5 पर्सेंटाइल से ऊपर तक कम की गई
- एसी/ एसटी / ओबीसी श्रेणियाँ: सभी उम्मीदवारों को पात्र घोषित किया गया

नीट-पीजी में भाग लेने वाले उम्मीदवार, वे एमबीबीएस स्नातक हैं, जिन्होंने संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं और कठोर इंटर्नशिप पूरी की है, और इसलिए वे स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए शैक्षणिक रूप से पात्र हैं। नीट-पीजी मुख्यतः एक रैंकिंग परीक्षा है, न कि उम्मीदवारों की क्षमता का मूल्यांकन करने वाला परीक्षण और प्रवेश परीक्षा में प्रदर्शन राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा निर्धारित कठोर प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन प्रक्रियाओं का विकल्प या कमी नहीं है।
